

उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि0 (पी0ए0) अपील वाद सं0 15/2021-22

गोविन्द रायअपीलकर्ता।

बनाम

महेन्द्र कुमार.....उत्तरकारी।

एवं

रे0मि0 (पी0ए0) अपील वाद सं0 33/2021-22

नित्यानन्द मरीकअपीलकर्ता।

बनाम

महेन्द्र कुमार.....उत्तरकारी।

आदेश

07.01.2022

यह रे0मि0 (पी0ए0) अपील 15/2021-22 गोविन्द राय बनाम महेन्द्र कुमार एवं रे0मि0 (पी0ए0) अपील वाद 33/2021-22 नित्यानन्द मरीक बनाम महेन्द्र कुमार के बीच अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के पी0ए0 वाद सं0-264/2006-07 में पारित आदेश दिनांक-05.08.2021 के विरुद्ध दायर किया गया है। दोनो अपीलवादों में उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

अपीलकर्ता गोविन्द राय के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि मौजा बसबुटिया प्रधानी मौजा है, तथा अपीलकर्ता के दादा विभूति राय मौजा के अंतिम प्रधान थे। अपीलकर्ता द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के न्यायालय में संताल परगना कारस्तकारी अधिनियम के धारा 06 के अन्तर्गत आवेदन दाखिल किया गया था, जिसका पी0ए0 वाद सं0-पी0ए0 41/2008-09 है। उक्त वाद में अब तक अंचल अधिकारी से जाँच प्रतिवेदन अप्राप्त है। इस पर प्रतिवेदन प्राप्त करने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा किसी प्रकार का कार्रवाई नहीं किया गया और उत्तरकारी को

संताल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा 05 के अन्तर्गत मौजा का प्रधान पद पर नियुक्त किया गया।

उनका आगे कहना है कि उत्तरकारी मौजा सारमारा में निवास करते हैं जो प्रधानी मौजा बसबुटिया से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। इस प्रकार उनकी नियुक्ति संताल परगना कास्तकारी (पूरक) रूल्स 1950 के शिउडल V के नियमों के विरुद्ध है। मौजा प्रधानी है और उक्त मौजा के अंतिम प्रधान अपीलकर्ता के दादा थे। फलतः उनका दावा प्रधान पद पर संताल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा 06 के अन्तर्गत बनता है। नियम के अनुसार धारा-06 के अन्तर्गत दायर आवेदन पर विचार किये जाने के पश्चात् ही धारा-05 पर कार्रवाई किया जाना चाहिए था जो अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा नहीं किया गया है। अपीलकर्ता ने अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश को विलोपित करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है।

अपीलकर्ता नित्यादनन्द मरीक का कहना है कि उत्तरकारी को मौजा के प्रधान पद पर संताल परगना कास्तकारी अधिनियम के 5 के अन्तर्गत प्रधान पद पर नियुक्त किया गया है। जिसमें उत्तरकारी को 26 जमाबंदी रैयतों में 24 रैयतों का समर्थन प्राप्त है, दर्शाया गया है। उनका कहना है कि उत्तरकारी के अलावे अपीलकर्ता एवं सहदेव महतो भी उम्मीदवार थे। इन दोनों द्वारा उत्तरकारी को मतदान नहीं दिया गया है। इनके अलावे तीन मतदाता (जमाबंदी रैयत) कारु मॉंड़ी, रामकैलाश मरीक एवं धोधिया देवी की मृत्यु हो चुकी है का मत अन्य व्यक्ति द्वारा दिया गया है। उनके अनुसार अनुमंडल पदाधिकारी के न्यायालय में

सही रूप से मतदाताओं का पहचान नहीं किया गया है एवं मतदाता की गिनती सही रूप से नहीं किया गया है।

उनका यह भी कहना है कि मतदान की तिथि निर्धारित के पूर्व 16 आना रैयतों को ढोल सोहरत के साथ विधिवत् सूचना (नोटिस) निर्गत किया जाना चाहिए था किन्तु अनुमंडल पदाधिकारी के न्यायालय द्वारा रैयतों पर मतदान हेतु नोटिश तामिला नहीं करवाया गया है। ऐसी स्थिति में अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश न्याय संगत नहीं है। अतः अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश को विलोपित करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाय।

उत्तरकारी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा मतदान सही रूप से किया गया है। गोविन्द राय का दावा संताल परगना कास्तकारी अधिनियम 06 के अन्तर्गत दावा नहीं बनता है, चूँकि गोविन्द राय के दादा को न्यायालय द्वारा CrI.Case No 277/1950 में धारा 426 I.P.C के तहत दोषी पाया गया है एवं 51 रूपये का अर्थदण्ड लगाया है। ऐसी स्थिति में अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश सही है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि अनुमंडल पदाधिकारी के न्यायालय द्वारा मतदान के पूर्व 16 आना रैयतों को विधिवत् ढोल सोहरत के साथ सूचना (नोटिस) नहीं दिया गया है तथा मतदान के समय सही रूप से मतदाताओं का पहचान कर गिनती नहीं किया गया है। इस आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी का आदेश को निरस्त करने योग्य है।

दूसरी ओर रे0मि0 अपील वाद सं0-15/2021-22 में गोविन्द राय के दावा के अनुसार उनके दादा पूर्व प्रधान थे। उन्हें अनुमंडलीय न्यायिक दण्डाधिकारी के न्यायालय के द्वारा सजा के रूप में 51 रुपये का अर्थदण्ड लगाया गया है, किन्तु उन्हें किसी भी सक्षम पदाधिकारी द्वारा प्रधान पद से वरखास्त नहीं किया है। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा उनके पी0ए0 वाद सं0-41/2008-09 में धारा-06 के दावों पर अंचल अधिकारी से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त तथा उनके दावों पर विचार किए बिना ही संताल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा 5 के अन्तर्गत कार्रवाई प्रारंभ करते हुए उत्तरकारी को मौजा के प्रधान की नियुक्त किया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका को प्रधान नियुक्ति के पूर्व 1980 BLJR 448 : 1980 BLJ 212 (DB) Thakur Hembrom Vrs State of Bihar में पारित आदेश में उल्लेखित तथ्यों पर भी विचार किया जाना चाहिए था, जो निम्न प्रकार उद्धृत है :-


It was held that authorities should have first considered the case of person claiming right to the post of pradhan on the basis of hereditary claim. It was pointed out that the procedure of election under Section 5 comes only after rejecting the right of hereditary claim.


उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश को निरस्त किया जाता है तथा अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका को इस आदेश के साथ पुर्नविचारार्थ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्षों के दावों को जाँचोंपरांत नियमानुसार प्रधान पद की नियुक्ति करें।

इसी समीक्षा के साथ दोनो वादों की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

यह आदेश रे0मि0 अपील 15/2021-22 एवं 33/2021-22 दोनो अभिलेखों में लागू होगा।

लेखापित एवं संशोधित


उपायुक्त,
दुमका।


उपायुक्त,
दुमका।